

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 17-32/2016/38-2
प्रति,

रायपुर, दिनांक 20/01/2016

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर
(छ0ग0)

विषय :- काईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.) में वर्ष 2016-17 से नवीन विषय प्रारंभ करने की अनुमति विषयक।

संदर्भ :- आपका जावक क्रमांक 64/आउशि/, दिनांक 13.01.2016

-----00-----

राज्य शासन, एतद् द्वारा, काईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर, जिला-जगदलपुर (छ.ग.) में वर्ष 2016-17 से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2006 तथा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार नवीन विषय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	एम.एस.सी. रसायन शास्त्र (नवीन विषय)	15 सीट
02.	एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र (नवीन विषय)	15 सीट

2/- उपरोक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 पालन किया जावे।
- परिनियम 28 के अंतर्गत आवश्यक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जावे, जिसके अंतर्गत सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र-02 पद, वनस्पतिशास्त्र-02 पद,
- वनस्पति विषय की पृथक प्रायोगशाला स्थापित की जाए।
- पाठ्यक्रम से संबंधित वनस्पति शास्त्र रु. 30 हजार, रसायन शास्त्र रु. 30 हजार कुल 60 हजार की पुस्तकें क्रय की जावे।
- नियमानुसार कायिक निधि एवं आवश्यक शुल्क जमा किया जावे।
- बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जावे।
- कंडिका 18 की पूर्ति की जावे।
- संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त सम्बद्धता संबंधी शर्तों को पूर्ण करना महाविद्यालय का दायित्व होगा।
- समस्त शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत उच्च शिक्षा संचालनालय को की गई प्रक्रिया से अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए।
- शासन द्वारा जारी किया गया आदेश शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिये ही मान्य होगा।

3/- नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विना किसी पूर्व सूचना के प्रदान की गयी अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर.....